संख्या-22/2018/650/18-2-2018-30(ल0उ0)/2017

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 जून, 2018

विषय-:पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नवीन योजनायें संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2017एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के कौशल विकास पर विशेष बल देते हुये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रोत्साहन दिये जाने के प्राविधान हैं। प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार एवं नये उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा "अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण" प्रदान किये जाने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है।

2- अत: उक्त के क्रम में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु योजना निम्नवत प्रख्यापित की जाती है -

2.1 इस योजनान्तर्गत निम्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा-

1-	बढ़ई	2-	प्लम्बरिंग
3-	सुरक्षा गार्ड	4-	मेडिकल नर्सिंग
5-	दुपहिया वाहन रिपेयरिंग	6-	ट्रैक्टर रिपेयरिंग
7-	बिजली मोटर रिपेयरिंग	8-	राज मिस्त्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

9- बिजली के छोटे मोटे सामान बनाने एवं रिपेयरिंग का कार्य

10- बांसबेत

11- कालीन एवं दरी बुनाई

12- बोरिंग मिस्त्री

13- लेथ मशीन मैकेनिक

14- इलैक्ट्रीशियन

15- साड़ियों की कढ़ाई छपाई

16- टेलरिंग

17- पंचररिपेयरिंग

18- स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य कोई ट्रेड

2.2 प्रशिक्षण हेतु पात्रताः

2.2.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ही पात्र होंगे। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल एवं आयु सीमा न्यूनतम् 18 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष होगी।

2.2.2 जनपद के पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही सूक्ष्म गृह इकाइयों को उच्चीकृत एवं विकसित करने हेतु अथवा वे अभ्यर्थी पात्र होगें जो इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों व बाजार क्षेत्र के दृष्टिगत नये उद्यमी के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं।

2.2.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 30 प्रतिशत एवं दिव्यांगजन को 04 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

2.3 योजना का प्रचार-प्रसारः

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में यथा सम्भव पोस्टर, बैनर एवं विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा, इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं संबंधित उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का होगा।

2.4 कार्यदायी संस्था:

उद्यमिता विकास संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ ।

2.5 प्रशिक्षणार्थियों का चयन:

प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

(1) इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(2) इच्छुक अभ्यर्थी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा कार्यदायी संस्था से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण कर जमा करेंगे।

(3) प्रशिक्षणार्थियों हेतु निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा कार्यदायी संस्था की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।

(4) इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा कार्यदायी संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र आनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो आवेदक आन लाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनके आवेदनों को संबंधित उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से आन लाइन जमा कराया जा सकेगा अथवा आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में भी जमा किये जा सकेंगे।

(5) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी का आधार नम्बर एवं बैंक खाता संख्या प्राप्त किया जायेगा।

(6) प्रशिक्षणार्थियों का चयन आवेदन के दिनांक की वरीयता एवं प्रशिक्षण के स्थानों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपरोक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु आनलाइन पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

(7) ऐसे अभ्यर्थी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे जिनके द्वारा इसी प्रकार की केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से पूर्व में लाभ प्राप्त किया गया हो।

2.6 कार्यक्रम स्थल:

कार्यक्रम स्थल के रूप में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा ऐसे स्थल का चयन किया जायेग, जहाँ पर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध हों एवं प्रतिभागियों की पहुंच सीमा के अन्दर हों। इस हेतु संबंधित उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय को प्राथमिकता दी जायेगी अथवा सम्बन्धित जिलाधिकारी का सहयोग लिया जायेगा।

2.7 प्रशिक्षण अवधिः

चार माह का प्रथम सत्र तथा चार माह का द्वितीय सत्र चलाया जायेगा।

2.8 कार्यक्रमों का आयोजन:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(1) कार्यक्रमों का आयोजन सीधे कार्यदायी संस्था के प्रशिक्षण संकाय के सदस्यों के नियंत्रण में किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य नहीं कराया जायेगा।

(2) कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सदस्यों की सेवायें भी ली जायेंगी।

(3) कार्यक्रम में प्रारम्भ के प्रथम दिन एवं समापन दिवस पर सम्बन्धित उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(4) प्रशिक्षणार्थियों के सम्पूर्ण विवरण यथा नाम, पिता का नाम, पता, प्रशिक्षण हेतु ट्रेड, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर का विवरण आदि रजिस्टर पर अंकित किया जायेगा तथा इसे सम्बन्धित उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रशिक्षणार्थियों के सम्पूर्ण विवरण नाम, पता, प्रशिक्षण हेतु ट्रेड, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर का विवरण आदि को कार्यदायी संस्था तथा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(6) प्रशिक्षण कार्यक्रम में यथावश्यकता जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, लीड बैंक के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं आउटकम के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने वाली कार्यदायी संस्थाओं का उत्तरदायित्व होगा।

2.9 स्टेशनरी एवं पाठ्य सामग्री:

प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को आवश्यक स्टेशनरी एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

2.10 अनुश्रवण:

(1) सभी सम्पादित किये गये कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को उचित सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा Track System का उपयोग किया जायेगा ताकि प्रतिभागियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय स्तर पर उपलब्ध रहे तथा आवश्यकतानुसार उनकी मदद की जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार आवंटन एवं प्रशिक्षणार्थियों के जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(4) उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय/लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, उद्योग, परिक्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त उप आयुक्त, उद्योग ,जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
5- औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

आज्ञा से

(रवीश गुप्ता)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner